

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0...

आवंटनादेश

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

राजेश भारती (भा०प्र०से०),

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय:- (क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं (ख) मुख्य शीर्ष-2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2236, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में द्वितीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार किया गया है ।

3. यह आवंटन, व्यय शीर्ष (क) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रु 86,700/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रु 92,058/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि रु 1,78,758/- (रु एक लाख अठहत्तर हजार सात सौ अठावन) मात्र एवं व्यय शीर्ष (ख) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रु 36,400/- एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में रु 39,396/- अर्थात् कुल आवंटित राशि रु 75,796/- (रु पचहत्तर हजार सात सौ छियान्बे) मात्र, इस प्रकार (क) + (ख) के अन्तर्गत कुल आवंटित राशि रु 2,54,554/- (रु दो लाख चौवन हजार पांच सौ चौवन) मात्र, वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-3748/वि०(2), दिनांक-05.04.2010 के आलोक में है ।

4. अनुसूची की कंडिका (ख) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि, कुल मजदूरों का 30% अनुसूचित जाति के मजदूरों के लिए है । अगर अनुसूचित जाति के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की कंडिका (क) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जायेगा ।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय ।

8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

9. यदि विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में टेंट, शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि के लिए आवंटित राशि में बचत होती है तो उस राशि से सबसे पिछड़ी पंचायत/ Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते हैं वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिक्त शिविर का आयोजन करें।

अनु०- अनुसूची-1

विश्वासभाजन,

ह/०

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/०

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-04/2025 श्र0सं0-

223

पटना, दिनांक-

15/01/26

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/प्रशाखा-2, सरकार पक्ष/ प्रशाखा-4, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

12/1/26
श्रमायुक्त, बिहार।

अनुसूची-I

क्र.सं.	जिला का नाम जहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा	कुल मजदूरों की संख्या (प्रति पंचायत एक मजदूर)	कुल मजदूरों का 70%	(क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230011030101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यव हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 5+6)	कुल मजदूरों का 30%	(ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230017890101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यव हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 9+10)	कुल योग (कॉलम 7+11)	शिविर आयोजन की तिथि
				कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101. 20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होर्डिंग आदि हेतु ₹ 18000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101. 20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यून मजदूरी कृषि नियोजन दर ₹० 402/- प्रति मजदूर)			कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101.20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹ 100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होर्डिंग आदि हेतु ₹ 7000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101. 20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यून मजदूरी कृषि नियोजन दर ₹० 402/- प्रति मजदूर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	327	229	86700	92058	178758	98	36400	39396	75796	254554	

स्तंभ (क) के अनुसार आवंटित राशि ₹ 1,78,758/- (रु एक लाख अठहत्तर हजार सात सौ अठानव) एवं स्तंभ (ख) के अनुसार ₹ 75,796/- (रु पचहत्तर हजार सात सौ छिपान्छे) मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹ 2,54,554/- (रु दो लाख चौवन हजार पांच सौ चौवन) मात्र


 (राजेश भारती)
 श्रमायुक्त, बिहार।